न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 100 / 2024

1. श्री मूला पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

2. श्री गांगू पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई जिला, अजमेर राजस्थान।

3. श्री रामा पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

4. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कल्याण उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राघव सारडा पुत्र श्री विनोद सारडा उम्र बालिग जाति माहेश्वरी निवासी तेलियों की गली, पलटन गेट, कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थी

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 18/7/25

उपस्थित:: वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह

वकील अप्रार्थी श्री प्रतीक मेहता एवं पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री अभिषेक सिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एंव खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला भू.अभि.नि.क्षेत्र दादिया तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 208 के खसरा संख्या 100, 108, 109 स्थित है , उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी कमांक 1 लगायत 4 का 8/35 हिस्सा पृथक-पृथक खातेदारी अधिकारों के निहित है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से उल्लेखित किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि के बहैसियत खातेदार होकर काबिज काश्तकार है जिसमें किसी अन्य का कोई हक हिस्सा, दखल, ऐतराज आदि नहीं है। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु आवागमन का सुगम व सुलभ रास्ता वर्तमान खसरा संख्या 79 किस्म गै. मु. रास्ता जो की पी.डब्लू.डी विभाग की भूमि होकर सरकारी रिकोर्डेड रास्ता है, से रास्ता उपलब्ध होकर आगे जाकर उक्त रास्ता खसरा संख्या 94 किस्म गै.मु.नाला व बंजर 2 जो सरकारी पडत भूमि है से भी जुडता है उपरोक्त खसरा संख्या 94 की पड़त भूमि से होकर प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में अरसो दराज से आते जाते रहते है तथा आज दिन तक निरंतर रूप से आ जा रहे है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में वर्णित अर्सो दराज से प्रचलित सुलभ एव निकटतम रास्ता का प्रयोग प्रार्थीगण व उसके पूर्वज गत 70 वर्षो से बिना कोई रोक टोक, अवरोध, बाधा अड़चन आदि के करते चले आ रहे है एंव बिना किसी अडौसी-पडौसी खातेदारों के दखल के इसी उक्त वर्णित रास्ते से गाडी, टैक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र चारा, उपज एव पैदावार अपने खेत में लाते-ले

...रहे है। उपरोक्त वर्णित प्रचलित रास्ता का प्रयोग प्रार्थीगण व इनके परिवारजन अपने पूर्वजों के समय से बेशर्त, स्थायी रूप से, सार्वभौमिक अधिकार होने से करते आ रहे है जिस कारणवश उक्त रास्ता भूमि पर प्रार्थीगण के सुगमता एव मार्ग का सुखाधिकार के अधिकार न्यस्त हो रखे है। उपरोक्त प्रचलित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास सुलभ एव निकटतम रास्ता वादग्रस्त खसरा संख्या 100 व 109 से लगती हुई कृषि भूमि खसरा संख्या 871/101 जो अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है से रास्ता उपलब्ध होकर उक्त भूमि पर आवागमन हेतु उपलब्ध रिकोर्डेड रास्ता जिसके खसरा संख्या 872/101 गै.मु.रास्ता है से होकर निकटतम व सुलभ रास्ता उपलब्ध है, जो रिकोर्डेड रास्ता आगे जाकर मुख्य रास्ता जिसके खसरा संख्या 103 किस्म गै.मु. रास्ता है से जाकर मिलता है। उपरोक्त रास्ता भी प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु निकटतम एवं सुलभ रास्ता उपलब्ध है। उक्त रिकोर्डेड रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से लगता हुआ स्थित है। वर्तमान में प्रचलित रास्ता भूमि अप्रार्थी संख्या 2 राज्य सरकार की भूमि है जिससे रास्ता प्रचलित होकर आगे जाकर सार्वजनिक रिकोर्डेड रास्ता जो पी.डब्लू.डी विभाग के नाम होकर रिकोर्डेड रास्ता भूमि है में मिल जाता है। उपरोक्त वर्णित प्रचलित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास किसी प्रकार का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यही केवल मात्र सुलभ, सरल, निकटम तथा लघुतम रास्ता है। जिसका प्रयोग अरसो–बरसो से प्रार्थीगण के अलावा अन्य पडौसी खातेदारगण द्वारा भी किया जा रहा है क्योंकी प्रार्थीगण के चारों तरफ खातेदारगण की भूमिया स्थित है। प्रार्थीगण को स्वंय के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर पहुंचने हेतु, कृषि कार्य हेतु उक्त वर्णित प्रचलित रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की रास्ता भूमि पर किसी भी प्रकार से रिकोर्डेड रास्ता भूमि आवागमन हेतु उपलब्ध नही होने तथा खसरा संख्या 94 के पडौसी खातेदारगण द्वारा करीबन एक माह पूर्व रास्ता संबंधित विवाद करने एव सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने व दिन प्रति दिन प्रार्थीगण के उक्त वर्णित प्रचलित रास्ते में से कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु आने जाने एव आवागमन हेतु बाधा, अडचन, अवरोध आदि उत्पन्न करते रहते है तथा अन्य रास्ता जो अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से उपलब्ध है पर से भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाधा कारित करने के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर सुनिश्चित तरिके से कृषि कार्य, विकास कार्य आदि नही कर पा रहे है, बार–बार बाधा, अवरोध उत्पन्न करने से प्रार्थीगण अपनी कृषि पर किसी भी प्रकार से सुलभकृषि कार्य नहीं कर पा रहे है। जो एक तरह से देश के कृषि विकास में भी बाधा है, खसरा संख्या 94 के पडोसी खातेदारगण द्वारा एक माह पूर्व उक्त खसरे से प्रचलित रास्ता में बाधा कारित करने व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 31.07.2024 को चरण संख्या 7 में प्रचलित रास्ते पर आने जाने में अवरोध उत्पन्न करते हुये प्रार्थीगण का आवागमन हमेशा के लिये बन्द करने की धमकी दी है तथा उक्त दिनांक से निरन्तर धमकीया दे रहे है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण द्वारा उक्त चरण संख्या 4 व 7 में वर्णित प्रचलित रास्ते के संबंध में खसरा संख्या 94 के पडौसी खातेदारगण व अप्रार्थी क्रमांक 1 जिसकी खातेदारी भूमि में से उक्त चरण संख्या 7 में वर्णित रास्ता उपलब्ध होकर उसी खसरे में से लगता हुआ रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध है से सामुहिक एंव सार्वभौमिक हित को ध्यान एंव मध्यनजर रखते हुये सर्वसहमति से इकरार कर प्रचलित रास्ता कायम करने का निवेदन किया व अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ते हेतु कुछ भूमि का समर्पण कर सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 872/101 में मिलाकर रिकॉर्डेड कर दिया जाने का आग्रह किया एंव जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराने का भी निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी क्रमांक 1 ने अपनी असहमति व्यक्त करी एंव उक्त निवेदन को सिरे से ठुकरा दिया। जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई दुर्भावना नही है क्योंकी भारतीय कानूनों ने भी प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिये रास्ता होना आवश्यक माना गया है। ऐसा नही करने से रास्ता विहित काश्तकार अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य नही कर सकेगें। जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकुल असर पड़ेगा। इस कारण विधि अनुसार भी काश्तकारों को रास्ता प्राप्त करने का कानुनन अधिकार धारा 251 (क) के तहत् सुनिश्चित किया गया है।

श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वास्ते, प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 व 7 में वर्णित प्रचलित रास्ता में से किसी भी रास्ता को न्यूनतम 30 फीट' या इससे अधिक के नाप पर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें एवं राजस्व नक्शा में तरमीमशुदा पुख्ता रास्ता दर्ज किये जाने के उचित आदेश पारित करें। अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के हक में दिया जाना श्रीमान् उचित समझें पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतीक मेहता उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि काश्तकारी अधिनियम के धारा 251 (क) प्रावधानो अनुरूप कृषि जोत से ही रास्ते की मांग की जा सकती है, जब कि जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 871/101, औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित है, जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 1788 दिनांक 24.10.2024 को ही अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार जवाबकर्ता की औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि से किसी प्रकार से भी रास्ते की मांग नही की जा सकती। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जवाबकर्ता की हद तक अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगणों ने अपनी कृषि भूमि के पश्चिम दिशा स्थित दिशा के सम्बन्ध मे गलत अंकन किया है। प्रार्थीगणों की भूमि खसरा संख्या 109 से लगती हुई जवाबकर्ता की औद्योगिक रूपांतरित भूमि खसरा संख्या 871/101 है, जो औद्योगिक रूपांतरित होकर खसरा संख्या 100, 109 एवं 616/108 की सींव पर दीवारों का निर्माण भी पूर्ण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने उक्त पैरे में यह गलत अंकन किया है कि प्रार्थीगण के आस–पास जवाबकर्ता की खातेदारी भूमि स्थित है। अतः पैरा संख्या 03 के कथन गलत होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04, 05 एवं 06 के जवाब में लेख है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र मे स्वयं ही यह अंकित कर रहे है कि उनकी कृषि भूमि मे आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता मौजूद है ऐसी स्थिति में जवाबकर्ता की औद्योगिक रूपांतरित भूमि के सम्बन्ध मे गलत रूप से पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः पैरा संख्या 04 लगायत 06 के कथनों अनुरूप प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से कोई रास्ते की मांग करते हैं वह न्यायोचित नही है। जवाबकर्ता की औद्योगित रूपांतरित भूमि पर जो रास्ता खसरा संख्या 872/101 के रूप मे समर्पित किया गया है, उक्त रास्ता जवाबकर्ता की औद्योगिक रूपांतरित भूमि खसरा संख्या 871/101 के आधे भाग तक ही मौजूद है और उक्त रास्ता समाप्त होने पर जवाबकर्ता की औद्योगित रूपांतरित भूमि अवस्थित होती उक्त भूमि के पश्चात् खसरा संख्या 109 जो प्रार्थीगणों की है मे से रास्ते का अवागमन असंभव है तथा खसरा संख्या 109 एवं जवाबकर्ता की भूमि खसरा संख्या 871/101 के सींव पर जवाबकर्ता द्वारा अपनी औद्योगिक ईकाई के लिए लगभग 30 ऊंची दीवार का निर्माण किया जा चुका है, ऐंसी स्थिति में किसी भी प्रकार से जवाबकर्ता की औद्योगिक रूपांतरित भूमि से रास्ता प्राप्त किया जाना कतई संभव नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जवाबकर्ता की हद तक अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04, 05 एवं 06 में ही यह स्पष्ट रूप से अभिवचन किये है कि उनकी कृषि भूमि मे आने–जाने हेतु रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थीगण उस रास्ते का अर्से–दराज से उपयोग–उपभोग आवागमन करते चले आ रहे है, ऐसी स्थिति में उपलब्ध रास्ते के अतिरिक्त अन्य रास्ते की मांग करना कतई न्यायोचित नही है। प्रार्थीगणों के पास पूर्व से ही अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु रास्ता कायम है तथा जवाबकर्ता की औद्योगिक रूपांतरित भूमि खसरा संख्या 871/101 मे से किसी भी प्रकार से काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुरूप रास्ता प्रदत्त नही किया जा सकता तथा जवाबकर्ता ने अपनी औद्योगिक ईकाई के निर्माण के लिए खसरा संख्या 100. 109 एवं 616/108 की तरफ अपनी भूमि पर दीवार निर्माण कर चुका है, ऐंसी स्थिति मे रास्ता प्रदत्त किया जाना कतई न्योयोचित नही है, इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार से कोई अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने की कृपा करावें।

11.02.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 870/101 रकबा 0.1967 हैक्टेयर किस्म ओद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है जिसमें मौके पर पक्की दीवार निर्मित है। सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 100 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 87 में से 0.0238 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 94 रकबा 3.2198 हैक्टेयर के बंजर 02 किस्म 1.2294 हैक्टैयर में से 0.3843 हैक्टेयर दिया जा सकता है अर्थात रास्ते हेतु खसरा संख्या 87 व 94 में से कुल रकबा 0.4081 हेक्टेयर होगा जो कि रास्ता वर्तमान में चालू है एवं खसरा संख्या 87 में प्रार्थीगण भी सहखातेदार है। खसरा संख्या 87 में से रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0238 की निर्वापित राशि 14756/— रूपये होगी तथा खसरा संख्या 94 रकबा 3.2198 हैक्टेयर के बंजर 02 किस्म 1.2294 हैंक्टैयर में से 0.3843 हैक्टेयर की निर्वापित राशि 2,38,266/— रूपये होगी।

दिनांक 18.07.2025 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष बंहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार अरांई की मोका रिपोर्ट के अनुसार यदि खसरा संख्या 87 एवं 94 में से प्रार्थीगणों को आवागमन हेतु रास्ता दे दिया जाता है तो प्रार्थीगणों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण निर्वापित राशि राजकोष में जमा करवाने को तैयार है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार अरांई की प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया निकटतम रास्ता खसरा संख्या 616/108 से है, उक्त भूमि का कार्यालय हाजा में भू. रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र क्रमांक LC/2025-26/230176 प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्राप्त रिपोर्ट से जाहिर है कि उक्त भूमि में वर्षा जल का भराव रहता है जो कि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है जिससे खसरा संख्या 616/108 के सम्परिवर्तन प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2025 को खारिज किया गया था। अतः खसरा संख्या 616/108 में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी द्वारा अन्य रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि में से चाहा है अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 871/101 औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित हो चुकी है जिससे उक्त भूमि में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है परन्तु तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि प्रार्थीगण की ग्राम चौसला स्थित भूमि खसरा संख्या 100 में कृषि आवागमन हेतु कोई मार्ग नहीं है जिसके लिये प्रार्थीगण एवं सहखातेदारान् की भूमि खसरा संख्या 87 में से 0.0238 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा संख्या 94 कुल रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि में से बंजर 02 किस्म की भूमि रकबा 1.2294 हैक्टेयर में से 0.3843 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर रास्ता दिया जा सकता है, एवं उक्त रास्ता कदीमी है एवं चालू है। तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चौसला के खसरा संख्या 94 में मौके पर रास्ता चालू है तथा नाले के बहाव क्षेत्र से प्रभावित नहीं है। ग्राम पंचायत चौसला द्वारा भी प्रस्तावित रास्ते खसरा संख्या 94 में ग्राम विकास हेतु रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है। इस प्रकार खसरा संख्या 87 व 94 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि 0.4081 हैक्टेयर की कीमत वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार 02,53,022/— अक्षरे दो लाख तरेपन हजार बाईस रूपये होती है। अन्य कोई निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है, एवं प्रार्थीगणों को कृषि कार्य हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 100 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 87, 94 में से रास्ता दिया जाना उचित है, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार अरांई की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

<u>आदेश</u>

जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चौसला के

...सरा संख्या 87 जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार है में से 0.0238 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 की भूमि ग्राम चौसला स्थित भूमि खसरा संख्या 94 कुल रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि में से बंजर 02 किस्म की भूमि रकबा 1.2294 हैक्टेयर में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.3843 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 0.4081 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 6,20000/- रू0 प्रति हैक्टैयर के अनुसार ख0नं0 94 एवं 87 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.4081 हैक्टेयर भूमि हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 05,06044/- अक्षरे पांच लाख छः हजार चौवालिस रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट के मद 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.4081 हैक्टैयर की प्रतिभूति राशि 05,06044/- अक्षरे पांच लाख छः हजार चौवालिस रूपये तहसीलदार अरांई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अरांई को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 632 दिनांक 11.02.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में ग्राम चौसला के खसरा संख्या 87 में रकबा 0.0238 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 94 कुल रकबा 3.2198 हैक्टेयर भूमि में से बंजर 02 किस्म की भूमि रकबा 1.2294 हैक्टेयर में से रकबा 0.3843 हेक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को खसरा संख्या 87 के खातेदारान् को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पंत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• मूला पुत्र कल्याण उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

• राघव सारडा पुत्र विनोद सारडा उम्र बालिग जाति माहेश्वरी निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर राज.।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0का0अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 00 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ....

वकील प्रार्थी :– अभिषेक सिंह **वकील अप्रार्थीगण...................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/10/24.....	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह ने अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.10.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
25/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। P.O.M. शासकार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेश वास्ते तलबी दिनांक 06/12/24 को पेश हो।	
06/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील अप्रार्थी श्री प्रतीक [illegible] जवाब प्रा० पत्र पेश [illegible] P.O.M. शासकार्य [illegible] पत्रावली 27/12/24 को पेश हो	
27/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. [illegible] /अवकाश पर [illegible] तहसील रिपोर्ट हेतु दिनांक 17/1/25 को पेश हो।	

28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। हल्का० द्वारा वकील उभयपक्ष को सुना गया। हल्का० द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व नक्शे से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरों में से भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। वकील वादी अन्य वैकल्पिक रास्ते खातेदारों को पहचान [illegible] करें। पत्रावली दिनांक 4/4/25 को पेश हो।

4/4/25 पत्रावली पेश हुई आज ......बार रिपवान .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9.5.25 को पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई आज ......बार किशनगढ़...... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/6/25 को पेश हो।

27/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब कुमाज कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 22/8/25 को पेश हो।

18/7/25 वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन 16/7/2025 को प्रस्तुत पत्रावली अग्रिम सुनवाई बाबत पेश करने को पत्रावली नियत तिथि से पूर्व आहूत तलब की गई। वकील प्रार्थी की अभिकथन सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र, जवाब व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। [illegible] पुनः [illegible] पत्रावली में आ० किये गये पत्रावली [illegible] [illegible] नम्बर [illegible] हो।